*रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 1981/आषाढ़ 4, 1903
No. 279] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 1981/ASADHA 4, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## कृषि मंत्रालय

## (कृषि और सहकारिता विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1981

**का. आ. 510 (अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के साथ पठित उपज उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) की प्रथम अनुसूची के स्पष्टीकरण के अनुसरण में तथा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि सहकारिता विभाग की 27 जून, 1980 की अधिसूचना सं. का. आ. 468 (ई) तारीख 27 जून, 1980 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार काजू गिरी की बाबत टैरिफ मूल्य 1 जुलाई, 1981 से वर्ष 1981-82 के लिए 2700 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित करती है ।

[संख्या एफ. 12014(1) 81 अर्थ-नीति]

पं. रा. दुभाषी, अपर सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

**(Department of Agriculture and Cooperation)**

New Delhi, the 25th June, 1981

NOTIFICATION

**S.O. 510(E).**—In pursuance of Explanation to the First Schedule to the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966) read with sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), S.O. No. 468(E), dated the 27th June, 1980 the Central Government hereby fixes, with effect from the 1st July, 1981, the tariff value in respect of Cashew Kernel at Rs. 2700 per quintal for the year 1981-82.

[F. No. 12014/1/81-Econ.Py.]

P. R. DUBHASHI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981